न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

196

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3158

विनोद भार्गव अधि.
6.9.17

6.9.17

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री रामदयाल उर्फ बुद्धसे राठौर, निवासी– ग्राम उमरिया तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

हुल्ला उर्फ कमोदा राठौर पिता फन्दू राठौर, निवासी– ग्राम उमरिया तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर

--अनावेदक

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी, प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
06-09-2017

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम उमरिया तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 504/2 रकबा 0.31, 505/2 रकबा 0.07 एवं खसरा कामंक 494/2 रकबा 0.18 एकड़ कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 एकड़ अनावेदक के पिता से आवेदक ने वर्ष 1956 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तदानुसार उसकी सहमति से दिनांक 15/05/1979 को नामांतरण पंजी क्रमांक 20 में आवेदक के नाम नामांतरण किया गया था।

2. यहकि, अनावेदक के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदक के पक्ष में उसकी सहमति से हुये नामांतरण आदेश को कभी कोई चुनौति नहीं दी गयी।

3. यहकि, अनावेदक द्वारा लगभग 30 वर्ष पश्चात् सहमति से पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी महोदय, जैतहरी के समक्ष [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3158 गायत्री विरूद्ध हुल्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य